न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 47 / 2020

1. फूलाराम पुत्र भूरा राम जाति जाट निवासी ढाणी बुरडकान तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
उनवानी सरकार बनाम फूलाराम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 21 / 2020 निर्णय दिनांक 08.09.2020

उपस्थितिः—

1 श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट ———— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 12.03.2011

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.09.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम फूलाराम मु0नं0 21 / 2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसील मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि— जमीन हाल खसरा नंबर 46 कुल रकबा 4.60 हैक्टर सरहद मौजा जालिमपुरा तहसील मलसीसर में से 0.14 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व खड़ी चवला की फसल कुर्की एवं निलामी करने का आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की अपूर्ण व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट को मानने में गलती की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

है। तथाकथित अतिक्रमण स्थल लम्बाई व चौड़ाई स्पष्ट नहीं है तथा उक्त रिपोर्ट को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर साबित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिस पर विधुत कनेक्शन ले रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय दिनांक 08.09.2020 पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2020 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:–जमीन हाल खसरा नंबर 46 कुल रकबा 4.60 हैक्टर सरहद मौजा जालिमपुरा तहसील मलसीसर में से 0.14 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व खड़ी चवला की फसल कुर्की एवं निलामी करने का आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपील पेश कर निवेदनी किया कि अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एलआर एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की अपूर्ण व अस्पष्ट एक पक्षीय रिपोर्ट को मानने में गलती की है। तथाकथित अतिक्रमण स्थल लम्बाई व चौड़ाई स्पष्ट नहीं है तथा उक्त रिपोर्ट को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर साबित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिस पर विधुत कनेक्शन ले रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय दिनांक 08.09.2020 पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2020 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि गैर. मु. जोहड़ पर पक्का मकान बनाकर व चवला की फसल काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी कालियासर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 46 किस्म गै.मु. जोहड़ कुल रकबा 4.60 हैक्टर में से 0.14 हैक्टर भूमि पर पक्का आवासीय मकान व चवला की फसल काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण करना बताया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा अपीलांट को धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस जारी कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के समक्ष इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है जो नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 उनवानी सरकार बनाम फूलाराम नं0 21/2020 यथावत रखा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

12.3.2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:29 IST
Reason: SelfAttested